थेरेजा को झटका, ब्रेग्जिट मंत्री ने दिया इस्तीफा

लंदन, 9 जुलाई (भाषा)।

ब्रिटेन के ब्रेग्जिट मंत्री डेविड डेविस ने प्रधानमंत्री थेरेजा मे की यूरोपीय संघ से निकास की योजना को लेकर पनपे मतभेदों का हवाला देते हुए सरकार से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि वे मे के खिलाफ किसी तरह के विरोध का समर्थन नहीं करने जा रहे।

उनका यह कदम अपनी पार्टी को प्रस्तावित ब्रेग्जिट दृष्टिकोण के प्रति एकजुट करने का प्रयास कर रहीं प्रधानमंत्री थेरेजा मे के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है।

ब्रेग्जिट मामलों से संबंधित नीति पर कैबिनेट के फैसले के कुछ ही दिन बाद ब्रेग्जिट मामलों के मंत्रालय से इस्तीफा देने वाले डेविस ने कहा कि सरकार की बातचीत की स्थिति के बारे में उनकी सोच में कोई बदलाव नहीं आया है।

जूनियर ब्रेग्जिट मंत्री स्टीव बेकर और ब्रेग्जिट की दूसरी मंत्री सुएला ब्रावरमैन भी इस्तीफा दे सकती हैं

थेरेजा मे

डेविस ने मे को लिखे पत्र में कहा कि इस नीति के आम निर्देश हमें बातचीत की कमजोर स्थिति में लाकर छोड़ देंगे और संभवतः उससे बच निकलना भी मुश्किल होगा।

अपने त्याग पत्र में डेविस ने मे को कहा, 'नीति और रणनीति का मौजूदा चलन ब्रिटेन के एकल बाजार और यूरोपीय संघ को छोड़ने की संभावना को बहुत कम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने पत्र में डेविस की सेवाओं के लिए उनका शुक्रिया किया लेकिन कहा कि कैबिनेट में शुक्रवार को इस नीति पर सहमति बनी थी और इसके बारे में जो बात आप कह रहे हैं उससे मैं सहमत नहीं हूं।' ब्रिटिश मीडिया की खबरों के मुताबिक जूनियर ब्रेग्जिट मंत्री स्टीव बेकर और ब्रेग्जिट की दूसरी मंत्री सुएला ब्रावरमैन भी इस्तीफा दे सकती हैं।

भारतीय कैंसर दवाओं पर सीमा शुल्क कटौती पर सहमति : चीन

बेजिंग, 9 जुलाई (भाषा)।

भारत और चीन भारतीय दवाओं विशेषकर कैंसर की दवाओं के चीन में आयात पर लगने वाले सीमा शुल्क (टैरिफ) में कटौती पर सहमत हुए हैं। चीन के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को यहां यह जानकारी दी। इससे कुछ दिन पहले अधिश्वेत रक्तता (ल्यूकेमिया) के एक मरीज पर बनी चीन की एक फिल्म में सस्ती भारतीय दवाओं के आयात का रास्ता साफ करने की जरूरत को रेखांकित किया गया था।

हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि क्या चीन यहां बड़े बाजार में कैंसर की दवाओं को बेचने के लिए भारतीय कंपनियों को लाइसेंस देने पर सहमत हुआ है या नहीं क्योंकि यह एक बड़ा कदम हो सकता है। सरकारी चाइना सेंट्रल टेलीविजन की एक रिपोर्ट के अनुसार, चीन में हर साल करीब 43 लाख लोग कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं। भारतीय दवाओं विशेषकर कैंसर की दवाओं की चीन में बड़ी मांग हैं क्योंकि ये पश्चिमी देशों की तुलना में बहुत सस्ती हैं। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने कहा कि भारत और चीन दवाओं पर सीमाशुल्क में कमी पर सहमत हुए हैं। मई में चीन ने कैंसर की दवाओं के आयात पर सीमाशुल्क में कटौती की थी। यह स्पष्ट नहीं है कि हुआइसी घोषणा की जिक्र कर रहे थे या नहीं। मई की घोषणा से भारतीय कंपनियों में कोई खास उत्साह पैदा नहीं हुआ था क्योंकि वे चीन में अपनी दवाओं को कानूनी रूप से नहीं बेच सकते क्योंकि इसके लिए देश के खाद्य और दवा विभाग से लाइसेंस की जरूरत है।

बाहर समय बिताने से अच्छी रहती है सेहत

लंदन , 9 जुलाई (भाषा)।

प्रकृति के नजदीक रहने और बाहर समय बिताने से टाइप- टू मधुमेह, हृदय संबंधित बीमारियां, अकाल मौत और समय से पूर्व जन्म और लोगों में तनाव पैदा होने का खतरा कम होता है। इस अध्ययन में 20 देशों के 29 करोड़ लोगों के आंकड़ों को शामिल किया गया है। अध्ययन के अनुसार जहां लोग प्रकृति के ज्यादा नजदीक होते हैं, उनकी सेहत अच्छी होती है।

ब्रिटेन के यूनिर्विसटी ऑफ ईस्ट एंगलिया काओम्हे तोहिग-बेनेट ने बताया, प्रकृति के नजदीक समय बिताने से निश्चित रूप से हम लोग स्वस्थ महसूस करते हैं लेकिन अभी तक लंबे समय तक स्वस्थ रहने के प्रभाव को अच्छे से समझा नहीं गया था। इस अनुसंधान में टीम ने प्रकृति के नजदीक रहने वाले लोगों की तुलना ऐसे लोगों से की जो हरी-भरी जगहों में कम ही रहते हैं। तोहिग- बेनेट ने बताया , हमने पाया कि हरे-भरे जगहों या इसके नजदीक रहना स्वास्थ्य लाभ से जुड़ा हुआ है। इससे टाइप- टू मधुमेह , हृदय संबंधित बीमारियां, अकाल मौत और समय से पूर्व जन्म सहित अन्य खतरे कम होते हैं और इससे नींद की अवधि बढ़ती है।

ओंडाटेजे की पुस्तक 'द इंग्लिश पेशेंट' ने जीता गोल्डन मैन बुकर पुरस्कार

लंदन, 9 जुलाई (भाषा)।

श्रीलंका में जन्मे कनाडाई लेखक माइकल ओंडाटेजे की पुस्तक द इंग्लिश पेशेंट ने गोल्डन मैन बुकर पुरस्कार जीता है। इस पुस्तक को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के 50 साल पूरे होने पर इस सम्मान से नवाजा गया।

द इंग्लिश पेशेंट द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान प्रेम और संघर्ष की कहानी है।

74 वर्षीय लेखक ने भारतीय मूल के लेखक वीएस नायपॉल समेत पिछले 51 विजेताओं को इस दौड़ में पीछे छोड़ दिया। इस दौड़ में नायपॉल की पुस्तक इन ए फ्री स्टेट (1971), सलमान रश्दी की पुस्तक मिडनाइट्स चिल्ड्रन (1981), अरुंधति रॉय की पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स (1997), किरण देसाई की पुस्तक द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस (2006) और अरविंद अडिगा की पुस्तक द वाइट टाइगर (2008) भी थी।

लंदन के साउथ बैंक में पुरस्कार समारोह में ओंडाटेजे ने कहा, 'एक सेकंड के लिए भी मुझे विश्वास नहीं होता है कि यह सूची में या बुकर उपन्यासों की डाले जाने वाली किसी अन्य सूची में सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है।'

उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात पर संदेह है कि इस उपन्यास पर बनी 1996 की ऑस्कर विजेता फिल्म का जनता के वोट के नतीजे पर कोई असर है। उस फिल्म में राल्फ फिन्स, जूलियट बिनोचे और क्रिस्टन स्कॉट थॉमस ने मुख्य भूमिका निभाई थी। पहले द इंग्लिश पेशेंट ने 1992 का बुकर पुरस्कार बैरी अन्सवर्थ की पुस्तक सैक्रेड हंगर के साथ साझा की थी। निर्णायक मंडल ने सभी 51 पूर्व बुकर विजेताओं के नाम पर विचार किया। उन्होंने उसमें से हर दशक से एक पुस्तक को चुना। जनता ने उसके बाद अपनी अंतिम पसंद पर मतदान किया और ओंडाटेजे की पुस्तक को चुना।

नर्व एजंट के संपर्क में आने से महिला की मौत, जांच शुरू

लंदन, 9 जुलाई (एएफपी)।

दक्षिण पश्चिम इंग्लैंड में नर्व एजंट के संपर्क में आने से एक महिला की मौत हो गई। स्कॉटलैंड यार्ड ने हत्या का मामला मानकर इस घटना की जांच शुरू कर दी है। यह घटना उस शहर की ही है जहां चार महीने पहले एक पूर्व रूसी जासूस और उसकी बेटी को जहर दिया गया था।

डॉन स्टर्गेस (44) नामक एक महिला 30 जून को नर्व एजंट के संपर्क में आने के बाद बीमार पड़ गई थी। उसकी विल्टशायर स्थित सैलिसबरी जिला अस्पताल में रविवार को मौत हो गई।

नर्व एजंट के संपर्क में आने वाले उनके साथी चार्ली रोले की भी हालत नाजुक बताई जा रही है। स्कॉटलैंड यार्ड ने कहा कि उसने इसे हत्या मान कर जांच शुरू की है। मार्च में रूस के पूर्व जासूस सर्गेई स्क्रिपाल और उनकी बेटी पर हुए रसायनिक हमले की जांच के बाद नर्व एजंट संबंधी यह दूसरा बड़ा मामला है।

पाक के लिए दो उपग्रहों का प्रक्षेपण किया चीन ने

बेजिंग, 9 जुलाई (भाषा)।

चीन ने पाकिस्तान के लिए सोमवार को दो दूर संवेदी उपग्रहों का प्रक्षेपण किया। तकरीबन 19 साल के दौरान लॉन्ग मार्च-2 सी रॉकेट का यह पहला अंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक प्रक्षेपण है।

उपग्रह पीआरएसएस-1 और पाकटीईएस-1 ए को पश्चिमोत्तर चीन में जिउकान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से पूर्वाह्न 11 बजकर 56 मिनट पर प्रक्षेपित किया गया। पीआरएसएस-1 पाकिस्तान को बेचा गया चीन का पहला ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह है और किसी विदेशी खरीदार के लिए चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी (सीएएसटी) द्वारा विकसित 17वां उपग्रह है। पाकिस्तान द्वारा विकसित वैज्ञानिक प्रयोग उपग्रह पाकटीईएस-1 ए को उसी रॉकेट से उसकी कक्षा में भेजा गया।

रिलायंस असेट रिकंस्ट्रक्शन कं. लि.
RELIANCE Asset Reconstruction
कॉर्पोरेट ऑफिस : रिलायंस सेन्टर, 6टी मंजिल, उत्तरी विंग, प्रभात कॉलोनी के पास, सांताक्रूज (ईस्ट) मुम्बई 400 055

आधिपत्य सूचना [नियम 8(1) देखें]
(अचल संपत्ति हेतु)

चूंकी निम्न हस्ताक्षरकर्ता, सेक्योरिटाईजेशन एन्ड रीकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इंफोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इंट्रस्ट एक्ट 2002 के अंतर्गत रिलायंस ऐ.आर.सी. लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी (आरऐआरसी 027 ट्रस्ट के लिए ट्रस्टी के रूप में प्रभारी) के रूप में यह कि रिलायंस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ने डीड ऑफ एसाइनमेन्ट, दिनांक 24.03.2017 के द्वारा, वास्तविक ऋणदाता मेग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड से वित्तीय परिसंपत्ति हासिल कर ली है। एवं यह भी कि रिलायंस असेट रिकंस्ट्रक्शन कं. लि. के प्राधिकृत अधिकारी ने सेक्युरिटाइजेशन एन्ड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेन्शियल एसेट्स एंड इंफोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इंट्रस्ट एक्ट 2002 के अंतर्गत एवं सिक्योरिटी इंट्रस्ट (इंफोर्समेन्ट) नियम 2002 की धारा 13(12), नियम 3 के साथ पढी जाए, के अंतर्गत उसे मिले अधिकारों के चलते **ऋणीयों मेसर्स उजाला सेल्स प्रा.लि., मेसर्स उजाला पंप्स प्रा. लि., श्री दिनेश गुप्ता, श्री वेद प्रकाश गुप्ता, श्री संजीव गुप्ता, श्रीमती रीना गुप्ता एवं श्रीमती सीता गुप्ता,** सभी का पता : सी-127, प्रीत विहार कृष्णा नगर, नई दिल्ली-110092, अन्य पता : संपत्ति क्रमांक जी-27, खसरा नं. 678, पूर्वी गोकुलपुर इलाका शाहदरा, दिल्ली 110094 एवं श्री संजीव शुक्ला, पता : मकान नं. एफ-26 ए, पांडव नगर, पतपरगंज, पूर्वी दिल्ली-110091, को बुलाकर दिनांक 26.04.2018 को डिमांड नोटिस (मांग पत्र) जारी किया है। ऋणीयों को नोटिस की तारिख से 60 दिन के अंदर मांग सूचना के अंदर दर्शाई गई बकाया राशि **रू. 40,02,645.83/- [(रु. 24,37,450/- रूपये चौबीस लाख सैतीस हजार चार सौ पचास मात्र) दिनांक 11.12.2017** को **ऋण खाता क्रं. HL/0031/H/13/000118** में एवं **रु. 15,65,195,83/- (रुपये पन्द्रह लाख पैसठ हजार एक सौ पिंच्यानवे एवं तिरयासी पैसे मात्र) दिनांक 11.12.2017 को ऋण खाता क्रं. HL/0031/H/13/000124** में], आगामी ब्याज के साथ पूर्ण भुगतान करने के लिये कहा था।

ऋणी/बंधककर्ता/जमानतदार उक्त बकाया राशि चुकाने में असफल रहे हैं, अतः ऋणी/बंधककर्ता/जमानतदार तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त एक्ट के सेक्शन 13(4) एवं उक्त सिक्यूरिटी इन्ट्रेस्ट एनफोर्समेन्ट रूल 2002 के साथ पठित नियम (8) के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये अधोलिखित संपत्ति का कब्जा दिनांक **06.07.2018** को ले लिया है।

एतद् द्वारा ऋणी/बंधककर्ता/जमानतदार को विशेष एवं जनसाधारण को सामान्य रूप से सचेत किया जाता है कि उक्त सम्पत्ति विषयक कोई संव्यहार न करे। ऐसा कोई भी संव्यवहार वसूल की जाने वाली राशि **रू. 40,02,645.83/- (रूपये चालीस लाख दो हजार छः सौ पैतालीस एवं तिरयासी पैसे मात्र)** दिनांक **11.12.2017** को सभी खर्चो, आगामी ब्याज एवं व्यय के साथ जब तक पूर्ण भुगतान न हो रिलायंस ए आर सी लिमिटेड (आरऐआरसी 027 ट्रस्ट के लिए ट्रस्टी के रूप में प्रभारी) के प्रभार के अधीन रहेगा।

उधारकर्ता का ध्यान प्रतिभूति आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 8 के उपबंधो की ओर आकृष्ट किया जाता है।

बंधक अचल संपत्ति का विवरण
ऋण खाता क्रमांक HL/0031/H/13/000118 & HL/0031/H/13/000124
संपत्ति मालिक : श्री वेद प्रकाश गुप्ता :
खसरा नं. 678, पूर्व गोकुलपुर, इलाका शहदरा, नई दिल्ली-110094 स्थित अचल संपत्ति प्लाट क्रमांक जी-26-ए, क्षेत्रफल 61.5 वर्ग यार्ड्स, के समस्त शेष एवं संपूर्ण भाग उसकी अधिसंरचना के साथ, **संपत्ति की चर्तुःसीमा** - पूर्व : अन्य संपत्ति (शुक्ला का प्लाट), पश्चिम : 9' फीट गली, उत्तर : अन्य संपत्ति (मनोहरलाल का प्लाट), दक्षिण : अन्य संपत्ति (ताराचन्द का प्लाट)

प्राधिकृत अधिकारी
वास्ते रिलायंस ऐआरसी लिमिटेड
(आरऐआरसी 027 ट्रस्ट के लिए ट्रस्टी)
दिनांक : 06.07.2018
स्थान : नई दिल्ली

कार्पोरेशन बैंक Corporation Bank
सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी बैंक
प्र.का. मंगलादेवी रोड, मंगलूरु - 575 001

लोक सूचना

बैंकिंग कंपनी अधिनियम, (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं स्थानांतरण) 1980 के धारा 10 बी के अनुसार 2010-11 के दौरान बैंक के शेअरों पर दावारहित/भुगतान नहीं किये गए लाभांश का आईईपीएफ खाता में 14.08.2018 कोअंतरण किया जाना है। सेवा के मामले के रूप में, बैंक ने सभी शेअरधारकों कोअपना दावा अनुरोध भेजने हेतु 9 जुलाई 2018 को पत्र भेजा था। यदि 10.08.2018 तक दावा नहीं किया गया, तो इस खाता में बकाया शेष को आईईपीएफ खाता में अंतरित कर दिया जाएगा।

जिन शेअरधारकों ने 2010-11 हेतु अपना लाभांश भुनाया/ प्राप्त नहीं किया है, उनसे अपना दावा 13.08.2018 से पर्याप्त समय पहले बैंक के कंपनी सचिव अथवा शेयर अंतरण एजेंट को निम्नलिखित पते पर प्रस्तुत करने हेतु निवेदन किया जाता है ताकि 13.08.2018 तक उनके दावे निपटाए/ भुगतान किया जा सके।

कंपनी सचिव
निवेशक सेवाएं विभाग, कार्पोरेशन बैंक
कार्पोरेट कार्यालय, मंगलादेवी मंदिर रोड, मंगलूरु - 575 001
(दूरभाष: 0824-2426416-420, फैक्स: 0824-2423853, ई-मेल: isdcorpbank.co.in)

मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेअर प्राइवेट लिमिटेड
कार्पोरेशन बैंक यूनिट, प्लॉट सं. 31-32 गांचीबावली,
वित्तीय ज़िला, नानाक्रमगुड्डा हैदराबाद - 500 032
दूरभाष: 040-67162222, फैक्स: 040-23001153, ई-मेल: einward.riskarvy.com

स्थान: मंगलूरु
तिथि: 10.07.2018
sd/-
(एस.के. दास)
कंपनी सचिव

विजया बैंक (भारत सरकार का उपक्रम)
मोहाना रोड, बल्लभगढ़
फोन : 0129 - 2241290, 2213957
ईमेल: vb8305@vijayabank.co.in www.vijayabank.com

कब्जा सूचना
(सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के तहत)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (द्वितीय) अधिनियम, 2002 के अंतर्गत विजया बैंक, बल्लभगढ शाखा के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) कें अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि **04.01.2018** जारी कर ऋणधारक **मैसर्स गुडविल एंटप्राइज़िज की एकल स्वामित्व फर्म जिसका कार्यस्थल नं. 41-ए, जीवन नगर पीर बाबा मज़ार के सामने, सोहना रोड, बल्लभगढ़ स्वामी: श्री त्रिलोक चंद मित्तल पुत्र श्री जयंती प्रसाद पता म.नं. 248, वार्ड नं. 23, ब्राह्मणवाडा, बल्लभगढ़ जिला फरीदाबाद, गारंटर्स: 1) श्री पुनीत मित्तल, पुत्र त्रिलोक चंद मित्तल पता म.नं. 248, वार्ड नं. 23, ब्राह्मणवाडा, बल्लभगढ़ जिला फरीदाबाद 2) श्रीमती सरोज मित्तल पता म.नं. 248, वार्ड नं. 23, ब्राह्मणवाडा, बल्लभगढ़ जिला फरीदाबाद, 3) सुमित मित्तल पता म.नं. 248, वार्ड नं. 23, ब्राह्मणवाडा, बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद 4) श्री विनोद मित्तल पता म.नं. 248, वार्ड नं. 23, ब्राह्मणवाडा, बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद** में है, को उक्त सूचना की प्राप्त की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि **रू 1,17,35,650.44 (रूपये एक करोड़ सतरह लाख पैतीस हज़ार छः सौ पचास व पैसे चव्वालीस मात्र)** के साथ उस पर आगे के ब्याज, खर्चे तथा अन्य चार्जेज, आदि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक / गारंटर इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारको /गारंटरों तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि **दिनांक 05 जुलाई, 2018** को अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (द्वितीय) अधिनियम, 2002 के अंतर्गत नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेषरूप से ऋणधारकों/गारंटरों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय **रू 1,17,35,650.44 (रूपये एक करोड़ सतरह लाख पैतीस हज़ार छः सौ पचास व पैसे चव्वालीस मात्र)** के साथ उसपर ब्याज की राशि के लिए विजया बैंक, बल्लभगढ़ के चार्ज के अधीन होगा।

अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधानों के अंतर्गत उपलब्ध समय में अपनी अचल सम्पत्तियों को छुडाने के लिए ऋणधारक का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है।

अचल सम्पत्तियों का विवरण
(1) साम्यिक बंधक प्लांट व मशीनरी, विक्रय स्टॉक के साथ सम्पत्ति के सभी भाग व पार्सल जिसमें शामिल है
2) ईएमडीटीडी में निरंतर बंधक म.नं. 260, खसरा नं. 5//19/1, 5//18/1 का भाग, मापन 85 वर्ग गज, भूदत्त कॉलोनी मौज़ा, ऊँचा गांव तहसील बल्लभगढ़ में स्थित।
घिरा हुआ : उत्तर : एमटेक इंजी. वर्क्स — दक्षिण : त्रिलोक चंद के स्वामित्व में अन्य भाग
पूर्व : सिही रोड — पश्चिम : अंजनि कुमार दुबे की सम्पत्ति

स्थान: बल्लभगढ़ तिथि : 05.07.2018 प्राधिकृत अधिकारी, (विजया बैंक)

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
शाखा कार्यालय : पटेल नगर, गाज़ियाबाद, उ0प्र0
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)
परिशिष्ट-IV (नियम 8 (1) देखें)

जबकि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के अंतर्गत **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पटेल नगर, गाज़ियाबाद शाखा** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना दिनांक **16.04.2018** जारी की थी, जिसके द्वारा **कर्जदारः श्री भगवत प्रसाद पुत्र श्री गोबर्धन प्रसाद और श्रीमती चन्द्र भागा पत्नी श्री भगवत प्रसाद, निवासी प्लॉट सं. 110, कैलाश पुरम, फेज़-2, गाँव रईशपुर, तहसील और जिला-गाज़ियाबाद, उ0प्र0 और गारंटर श्री सुनील कुमार पुत्र श्री नेत्रपाल सिंह,** को सूचना में उल्लिखित राशि **रु.10,17,738/- (दस लाख सत्रह हज़ार सात सौ अड़तीस रूपये मात्र)** उक्त सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था। **कर्जदार** के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदार तथा आम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़े जाने वाले कथित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा **दिनांक 04 जुलाई, 2018** को ले लिया है। **कर्जदार** को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतदद्वारा सावधान किया जाता है कि वे सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन-देन न करें और सम्पत्ति का कोई भी लेनदेन **रु.10,17,738/- (दस लाख सत्रह हज़ार सात सौ अड़तीस रूपये मात्र) 16 अप्रैल 2018 को उसके बाद के ब्याज और व्यय के साथ (यदि कोई वसूली हुई तो कम) की राशि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पटेल नगर, गाज़ियाबाद शाखा** के प्रभार के भुगतान के अधीन होगा।

ऋणियों का ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उप-अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण
प्लॉट सं.110, दूसरी मंजिल, सामने की ओर (बिना छत के अधिकार के) खसरा सं.1556, कैलाशपुरम, फेज़-2, गाँव रईशपुर, तहसील और जिला-गाज़ियाबाद, उ0प्र0 में स्थित श्री भगवत प्रसाद पुत्र श्री गोबर्धन प्रसाद के नाम में सम्पत्ति के सभी भाग एवं हिस्से का न्यायसंगत बंधक। सम्पत्ति का क्षेत्रफलः 62.70 वर्ग मीटर। घिराः
उत्तरः प्लॉट सं.114 — **दक्षिणः रास्ता 20 फीट चौड़ा**
पूर्वः रास्ता 18 फीट — **पश्चिमः प्लॉट सं.122**
स्थानः पटेल नगर, गाज़ियाबाद — **प्राधिकृत अधिकारी**
तिथिः 04.07.2018 — **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया**

कार्यालय वसूली अधिकारी-I, ऋण वसूली अधिकरण-I, दिल्ली
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, पटेल चौक, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
बिक्री की उद्घोषणा

आर.सी. नं. 66/2009 सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम अंचल सिल्क दिनांकः 11.06.2018

बैंक एवं वित्तीय संस्थान अधिनियम, 1993 को देय ऋणों की वसूली के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52(2) के अंतर्गत बिक्री की उद्घोषणा

आर.सी. नं.66/2009 सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम अंचल सिल्क

(1) मैसर्स अंचल सिल्क एंड साड़ी, 484, कट्रा अशरफी, चांदनी चौक, दिल्ली
(2) श्रीमती वीनू पत्नी श्री निरंजन कुमार, निवासी 31, नेशनल पार्क, लाजपत नगर, नई दिल्ली
(3) श्री जगत भारद्वाज, 520, सैक्टर-9, आर.के.पुरम, नई दिल्ली
(4) श्री अरूण कुमार, एफ-12/33, कृष्णा नगर, दिल्ली
(5) श्री विनोद कुमार पुत्र श्री लोकु राम, 289, डीडीए फ्लैट्स, फेज-2, टिगरी, नई दिल्ली
(6) श्री निरंजन कुमार निवासी 31, नेशनल पार्क, लाजपत नगर, नई दिल्ली

(1) चूंकि वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार लागत एवं प्रभारों के साथ प्रमाणपत्र देनदार से 01.02.1993 से लंबित भावी ब्याज 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर के साथ **रु. 53,36,884 (तिरपन लाख छत्तीस हजार आठ सौ चौरासी रुपए)** की वसूली के लिए पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-2 द्वारा जारी **ओए नं.846/1995 दिनांक 17.09.2009 में** वसूली सं. 66/2009 के संबंध में। **(2)** और चूंकि अधोहस्ताक्षरी ने कथित प्रमाणपत्र के सापेक्ष में नीचे अनुसूची में वर्णित समपत्ति की बिक्री के आदेश दिये हैं। **(3)** और जबकि इसमें **01.02.1993 से लंबित तिमाही ब्याज के साथ 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर के साथ रु. 53,36,884 की राशि बकाया है। (4)** एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी स्थगन आदेश की अनुपस्थिति में कथित सम्पत्ति को **10.08.2018 को प्रातः 11:00 बजे कोर्ट ऑक्शनर श्री एस. एम. तूरा, अधिवक्ता, मोबाइल नं. 8130555664 के माध्यम से सम्पत्ति सं. 6/92, मालवीय नगर, नई दिल्ली के द्वितीय तल में आयोजित सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेचा जाएगा। (5)** उपरोक्त नामित सीडी की नीचे अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति की बिक्री की जाएगी और कथित सम्पत्ति पर देनदारियां एवं दावें जिनके बार में अब तक पता चला है उन्हें प्रत्येक लॉट के आगे अनुसूची में विनिर्देशित किया गया है। **(6)** नीचे अनुसूची में विनिर्देशित सम्पत्ति के लॉट को बिक्री के लिए रखा जाएगा । यदि सम्पत्ति के किसी एक भाग की बिक्री पर राशि की वसूली हो जाती है तो नीलामी को तुरंत रोक दिया जाएगा । बिक्री को उस स्थिति में भी रोक दिया जाएगा यदि पुरा लॉट समाप्त हो जाता है, कथित प्रमाणपत्र में वर्णित बकाया राशि, ब्याज लागत (बिक्री की कीमत सहित) की अधिकारी द्वारा वसूली हो जाने का प्रमाण दिया जाता है और अधोहस्ताक्षरी के पास ऐसे प्रमाणपत्र में दर्ज बकाया राशि, ब्याज एवं लागत का भुगतान करने का प्रमाण सौप दिया जाता है। **(7)** कोई भी अधिकारी या व्यक्ति जिसकी डयूटी बिक्री से जुड़ी है, वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्पत्ति की बिक्री में भाग लेने का कोई प्रयास नहीं करेगा। **(8)** बिक्री पर आम जनता को व्यक्तिगत या अपने अधिकृत एजेंट के माध्यम से बोली लगाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। नीलामी बिक्री के समय भावी खरीददार द्वारा पैन कार्ड प्रस्तुत करना होगा। **(9)** बिक्री आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में निर्धारित शर्तों और इसके अधीन बनाए गये नियमों और आगे की शर्तों का पालन करते हुए की जाएगी। सम्पत्ति का विवरण, आरक्षित मूल्य और ईएमडी का विवरण निम्नानुसार है:

नियम व शर्तें : (9.1) संलग्न सूची में विनिर्देशित विवरण अधोहस्ताक्षरी के ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार वर्णित किये गये हैं लेकिन अधोहस्ताक्षरी इस उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि, मिथ्या कथन या गलत विवरण होने पर जवाबदेय नहीं होगा। **(9.2) आरक्षित मूल्य जिससे कम पर सम्पत्ति नहीं बेची जाएगी, रु.42.00 लाख (बयालीस लाख रुपए) और** धरोहर जमा राशि (ईएमडी) **रु.4.20 लाख** है। **(9.3)** इच्छुक खरीददार को **''वसूली अधिकारी-1, डीआरटी-1, दिल्ली ए/सी आर.सी. नं. 66/2009''** के पक्ष में देय पे आर्डर/डिमांड ड्राफ्ट बिक्री आयोजित करने वाले अधिकारी के पास जमा करना होगा । सफल बोलीदाता के मामले में कथित जमा को समायोजित कर दिया जाएगा। असफल बोलीदाताओं को ई-नीलामी बिक्री प्रक्रिया समाप्त होते ही बिक्री आयोजित करने वाले अधिकारी द्वारा उनकी धरोहर जमा राशि को तुरंत लौटा दिया जाएगा। **(9.4)** बोली राशि **रु. 50,000/- (पचास हजार रुपए मात्र)** के गुणांक में बढ़ायी जाएगी और बोलीदाता की ओर बोली राशि के रूप में किसी भी विवाद की स्थिति में को लॉट को पुनः नीलामी के लिए रखा जाएगा। **(9.5)** सबसे ऊंची बोलीदाता को किसी भी लॉट का खरीददार घोषित किया जाएगा और उसकी बोली राशि आरक्षित मूल्य से कम नहीं होनी चाहिए। अधोहस्ताक्षरी को यदि लगता है कि प्रस्तुत की गई बोली राशि कम है और यह राशि अनुचित है तो उसके पास ऊंची बोली को निरस्त करने करने का अधिकार होगा। **(9.6)** सफल बोलीदाता को धरोहर जमा राशि (ईएमडी) को समायोजित करने के बाद उपरोक्त पैरा 9.3 में वर्णि किये गये अनुसार **वसूली अधिकारी-1, डीआरटी-1, दिल्ली ए/सी. आर सी. नं. 66/2009** के पक्ष में बिक्री राशि के 25 प्रतिशत राशि का डीडी/पे-आर्डर तैयार करना होगा । **(9.7)** सफल/उच्चतम बोली लगाने वाले बोलादाता को सम्पत्ति की **बिक्री की शेष 75 प्रतिशत राशि बिक्री की तिथि से 15वें दिन को या उससे पूर्व, ऐसे तिथि को छोड़कर, या यदि 15वें दिन रविवार या अन्य अवकाश पड़ता है तो इसके बाद आने वाले पहले दिन** वसूली अधिकारी-1, डीआरटी-1 के पास रु. 1000 तक 2 प्रतिशत की दर से पाउंडेज शुल्क और रु. 1000/- से अधिक सकल राशि पर 1 प्रतिशत की दर से पाउंडेज शुल्क रजिस्ट्रार, डीआरटी-1 दिल्ली को पास **निर्धारित प्रक्रिया में जमा करना होगा (डाक द्वारा शेष 75 प्रतिशत राशि जमा करने पर यह उपरोक्त अनुस